न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –76/2023

उनवान

1. रामदयाल
2. रामअवतार
3. रामबाबू समस्त पि0 रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी उदयपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए –
   1. क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय
   2. तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज किस्म व तरमीम नक्शाराज एवं स्थायी निषे0

वादीगण की ओर से श्री कैलाश चन्द्र बैंसला एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 10.10.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। **प्रकरण के तथ्य** संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 567 रकबा 2.1900 है0 खसरा नम्बर 568 रकबा 0.400 है0 खसरा नम्बर 569 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.6000 है0 ग्राम उदयपुरा में स्थित है जिसका पूर्व के खसरा नम्बर 377 है। जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण की भूमि के लगती हुयी भूमि हाल खसरा नम्बर 570 है जिसके पूर्व नम्बर 378 थे जिसे सैटलमेण्ट के कर्मचारियों ने वरवक्त सेटलमेण्ट के 467/378 मि0 कर गै0मु0 जंगलात की अंकन रिकॉर्ड कर दिया। आराजी खसरा नम्बर 378 में अर्से दराज से काफी लोग आवास बनाकर आज दिन तक

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिनमें वादीगण भी है। सम्पूर्ण भूमि में आबादी बसी हुई है खाली भूमि नहीं है। वादीगण की भूमि हाल खसरा नम्ब 568 के लगती हुयी है जो आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तनशुदा है। तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 570 में वादीगण के मकानों सहित लगभग 100–150 मकान बने हुये है जो 60–70 पूर्व से अधिक से बने हुए है जो सम्पूर्ण में आबादी बसी हुयी है यह भूमि कभी जंगलात एवं वन भूमि नही रही है न ही अब है। सैटलमेण्ट कर्मचारियों ने हाल नम्बर 570 की मौका स्थिति के विपरित जंगलात किस्म दर्शित कर व नक्शाराज में भी दर्शित कर दी है। जबकि आज दिन दर्शित स्थान में कोई खाली भूमि है ही नहीं वरन पूरी में आबादी बसी हुई है। प्रतिवादीगण मात्र जंगलात अंकन राजस्व रिकॉर्ड होने से वादीगण खर्चकर बनाए आवासीय मकानों को ध्वस्त कर अपूर्णीय क्षति करने को आमादा है। इसलिए वादीगण मुताबिक मौका कब्जानुसार के रिकॉर्ड एवं नक्शेराज में अपने नाम आबादी की उदघोषणा करवाने का हक रखने से रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्त करवाने का हक रखते है। इसलिए ग्राम उदयपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 570 पूर्व 378 में वादीगण एवं अन्य लोगो के आवासीय मकान अर्से दराज से बने हुये होने एवं उपयोग उपभोग आज दिन करते आने से तथा खाली भूमि नहीं होने सैटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा की गयी गलत किस्म जंगलात व नक्शे में दर्शित विधि विपरित होने से खसरा नम्बर 570 की किस्म दुरूस्त कर आबादी एवं इसी भांति नक्शे में अंकन करवाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे।

इत्यादिं पर वादीगण का वादपत्र वर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक एल.आर./2023/638 दिनांक 23.08.2023 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय द्वारा जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात बहस दावा सुनी गई।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि संवत 2017 भूमि एकीकरण मिसल खाता संख्या 112 सिवायचक लगानी/विला लगानी में खसरा नम्बर 378 रकबा 309 बीघा 4 बीस्वा में किस्म बंजड दोयम 149 बीघा 12 बिस्वा तथा गै0मु0 बेहड 159 बीघा 12 बिस्वा वर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 93 ग्राम उदयपुरा द्वारा सिवायचक भूमि 309 बीघा 4 बिस्वा में से किस्म गै0मु0 बेहड रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा वन विभाग महकमा जंगलात स्वीकृत हुआ एवं उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त वन विभाग को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 467/378 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

159 बीघा 12 बिस्वा कामय किया गया जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 570 रकबा 0.70 है0 खसरा नम्बर 604 रकबा 34.95 है0 खसरा नम्बर 604/694 रकबा 2.50 है0 खसरा नम्बर 616 रकबा 2.20 है0 खसरा नम्बर 626/695 रकबा 0.55 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 40.90 है0 जो कि लगभग 161 बीघा 12 बिस्वा भूमि बनती है राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। इसलिए साबिक एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह साबित होता है कि सैटलमेण्ट विभाग द्वारा वन विभाग को आवंटित भूमि से अधिक भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी तथा सिवायचक भूमि को कम कर दिया। इसलिए ग्राम उदयपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर हाल 570 साबिक 378 में वादीगण एवं अन्य लोगों के आवासीय मकान अर्से दराज से बने हुए होने व उपयोग उपभोग आज दिन तक करते आने से तथा सैटलमेण्ट द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज किस्म जंगलात विधि विपरित होने से खसरा नम्बर 570 की किस्म दुरूस्त कर आबादी एवं इसी भांति नक्शे में अंकन किया जावे क्योंकि पूर्व में उक्त भूमि सिवायचक भूमि थी तथा वर्तमान में आबादी बसी हुई है।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि संवत 2017 भूमि एकीकरण मिसल खाता संख्या 112 सिवायचक लगानी/विला लगानी में खसरा नम्बर 378 रकबा 309 बीघा 4 बीस्वा में किस्म बंजड दोयम 149 बीघा 12 बिस्वा तथा गै0मु0 बेहड 159 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 93 ग्राम उदयपुरा द्वारा सिवायचक भूमि 309 बीघा 4 बिस्वा में से किस्म गै0मु0 बेहड रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 40.39 है0 वन विभाग महकमा जंगलात स्वीकृत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। कार्यालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर से प्राप्त वन विभाग भूमि के रिकॉर्ड की प्रति में भी खसरा नमबर 378 में से 159 बीघा 12 बिस्वा भूमि गै0मु0 बेहड दर्ज है। इस प्रकार उक्त वन विभाग को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 467/378 रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा कामय किया गया जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 570 रकबा 0.70 है0 खसरा नम्बर 604 रकबा 34.95 है0 खसरा नम्बर 604/694 रकबा 2.50 है0 खसरा नम्बर 616 रकबा 2.20 है0 खसरा नम्बर 626/695 रकबा 0.55 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 40.90 है0 जो कि लगभग 161 बीघा 12 बिस्वा भूमि बनती है राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वन विभाग को आवंटित भूमि का रकबा 40.39 है0 था तथा वर्तमान में वन विभाग के नाम कुल 40.90 है0 अर्थात कुल 0.51 है0 भूमि अधिशेष दर्ज है जिसे कि भूमि प्रबन्ध

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

विभाग द्वारा दर्ज किया गया है जो कि किसी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय आदेश से दर्ज नहीं किया गया है बल्कि सैटलमेण्ट द्वारा विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया गया। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट के पैरा संख्या 4 में भी यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 570 रकबा 0.70 है0 भूमि वर्तमान नक्शाशीट में वादीगण के खसरा नम्बर 567, 568, 569 की खातेदारी भूमि एवं संवत 2017 में दर्ज खसरा नम्बर 378 सिवायचक भूमि में से आवंटित होकर वर्तमान खातेदारी भूमि के मध्य दर्ज कर दी गयी है खसरा नम्बर 570 पर वर्तमान में निर्माण होकर आबादी बसी हुई है। तहसीलदार सिकराय के रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 में यह भी अंकित किया है कि पूर्व नक्शाशीट संवत 2017 में खसरा नम्बर 378 में तरमीम नहीं होकर एक ही नम्बर दर्ज है सिवायचक एवं जंगलात की अलग अलग तरमीम नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय के जवाब का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय द्वारा अपने जवाब दावे में विवादित आराजी पर आबादी बसी होना तथा विवादित भूमि के कुछ भाग मौका के विपरित किस्म दर्ज होना स्वीकार किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा जवाब दावे के बयान मजिद में यह भी अंकित किया है कि वर्तमान जमाबंदी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 570 गै0मु0 जंगलात किस्म से दर्ज रिकॉर्ड है जो कि उक्त भूमि 0.70 है0 दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु मौके पर खाली भूमि मात्र 0.22 है0 बाकी 0.48 है0 भूमि में आबादी मकान पुराने बने हुए है। खाली भूमि आबादी के मध्य में है एवं कम रह जाने से वानिकी उपयोग के लिए संभव नहीं रही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि साबिक खसरा नम्बर 378 रकबा 309 बीघा 4 बिस्वा में से 159 बीघा 12 बिस्वा भूमि वन विभाग/महकमा जंगलात को आवंटित होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। शेष भूमि में से खातेदारों को भूमि आवंटित की गई। वन विभाग को आवंटित भूमि का रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा अर्थात कुल 40.39 है0 था तथा इतने ही रकबा का नामान्तकरण दर्ज किया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। लेकिन सैटलमेण्ट विभाग द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग को दर्ज हुई उक्त भूमि का रकबा 40.90 है0 दर्ज कर दिया इस प्रकार सिवायचक भूमि में से 0.51 है0 भूमि अधिक वन विभाग के नाम दर्ज कर दी, जबकि सैटलमेण्ट विभाग को इस प्रकार के परिवर्तन करने कोई हक अधिकार नहीं है। तथा तहसीलदार सिकराय के जवाब एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय के जवाब से भी साबित है कि खसरा नम्बर 570 रकबा 0.70 है0 जो कि आबादी के मध्य में स्थित है तथा वानिकी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

सैटलमेण्ट विभाग द्वारा विवादित भूमि में वन विभाग के नाम दर्ज किए गए 0.51 है0 रकबे को दुरूस्त कर साबिक रिकॉर्ड अनुसार पुनः सिवायचक किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उदयपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 570 रकबा 0.70 है0 में से 0.51 है0 भूमि गै0मु0 सिवायचक घोषित की जाती है। शेष 0.19 है0 भूमि गै0मु0 जंगलात में यथावत बनी रहेगी तथा गै0मु0 जंगलात की तरमीम मौके पर बसी हुई आबादी से इतर शेष खाली भूमि पर की जावे। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय